



**ICAR-Vivekananda Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan
Almora-263601 (Uttarakhand)**

F. No. 9-52/2014-Admn.I

Applications are invited for filling-up of the following temporary post at Krishi Vigyan Kendra, Kaflogair(Bageshwar) of this Institute under the Administrative control of ICAR, New Delhi.

Sl. No.	Post/Place of Posting	Pay Band/ Pay Scale + Grade Pay	Age Limit	Number of Vacant post-Reservation Position	Qualifications	
					Essential	Desirable
1	Subject Matter Specialist/T-6 (Agriculture Extension) KVK, Kaflogair (Bageshwar)	PB-3 (₹15600-39100) + GP ₹ 5400/-	18 to 35 years	01 post- UR	Master's degree in Agricultural Science (Agriculture Extension) or Equivalent qualifications from a recognized university	1. 2-3 years's experience in Transfer of Technology of hill crops. 2. Working knowledge of computer application 3. Ph.D. in relevant subject as specified

- Note:** 1. Last date of receipt of applications is 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News & for applications posted from the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Minicoy and Amindmi Islands, States/Union Territories in the North Eastern Region, Ladakh Division of J&K State, Sikkim, Pangi, Sub Division of Chamba, Lahul and Spiti District of Himanchal Pradesh, last date would be 15 days over and above 30 days from the date of advertisement.
2. Application form and details for the above post are available on institute website – <http://vpkas.nic.in>

Administrative Officer

General Instruction:

1. Application should be submitted in the prescribed proforma. Self attested copies of the relevant documents are to be attached with the application such as Educational Qualification/Age Certificate/Caste Certificate etc.
2. Crucial date for determining the upper age limit of candidate will be the closing date of receipt of application. Relaxation to SC/ST/OBC as per rules. There will be no age limit for the employees of the Council for the above post.
3. Application form must accompany with a Bank Draft of ₹ 500/- (SC/ST/Women/Physical Handicapped candidates are exempted) drawn in favour of the Director, ICAR-Vivekananda Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan, Almora payable at SBI, Almora. No other means of payment will be accepted failing which the application will be rejected. The date of Bank Draft should not be earlier than the date of issue of the advertisement in the Employment News and same should be valid for a period of three months, candidates must write his name on the back of the Bank draft. The application fee is not refundable.
4. Name of the post for which applied must be clearly indicated on the envelope along with sender's name and address. Last date of receipt of applications is 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News & for applications posted from the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Minicoy and Amindmi Islands, States/Union Territories in the North Eastern Region, Ladakh Division of J&K State, Sikkim, Pangi, Sub Division of Chamba, Lahul and Spiti District of Himanchal Pradesh, last date would be 15 days over and above 30 days from the date of advertisement. Applications completed in all respects should reach the Administrative Officer, ICAR-Vivekananda Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan, Almora – 263601 (Uttarakhand) within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News.
5. Candidates already in government service should submit their applications through proper channel.
6. The post is temporary but likely to continue and the candidate may be transferred to anywhere in India in ICAR institutes/stations.
7. For Research Associates / Senior Research Fellows who have been engaged on contractual basis in different Institutes under ICAR as on i.e. **12.12.2011** are eligible for relaxation in the upper age limit to the **extent of their spell, during which they were actually engaged as RAs / SRFs in different projects** (maximum of 16 years 3 months). A break of more than 6 months may not be accepted and may be treated as an inordinate spell of break. An employment certificate indicating the names of the project and the exact period the incumbent worked in each project, may be obtained from the Competent Authority, and enclosed alongwith the application. **The applications without Experience certificate will be disqualified.** This dispensation is only for relaxing the maximum age limit and does not imply any other relaxation whatsoever regarding essential qualifications and experience etc.
8. **Candidates applying for the vacancy will have to give a declaration stating whether he is related to any employee of the VPKAS(ICAR), Almora or any Institutes of ICAR and, if so, name the persons and describe the nature of his/her relationship.**
9. The prescribed qualifications are minimum and an enhanced qualification does not entitle the candidate to be called for written test/interview. Where the number of applications received in response to advertisement is large, it will not be convenient or possible for the Institute to call all the candidates for written test/interview. The Director of the Institute has the right to fix criteria based on education qualifications and experience for screening the applications so as to reduce/shortlist the number of candidates called for written test/Interview. Shortlisted candidate will be called for written test/ interview.
10. No T.A./D.A. will be paid to the candidates called for interview/test. Unemployed SC/ST candidates called for interview/test will be paid second class train/bus fare by the shortest route, as per Govt. of India rules.(on production of proof).
11. Incomplete applications/applications without demand draft/applications received after the closing date will not be considered and no correspondence in this regard will be entertained.
12. The Director, ICAR-Vivekananda Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan, Almora reserves the right to cancel the recruitment to the above post without assigning any reason thereof.
13. Applications received after the due date for any reason including postal delays will not be entertained.
14. The above post are non-government but pensionable under 'New Pension Scheme'.
15. All the dispute/litigation, if any in this regard will be subject to Uttarakhand High Court, Nainital jurisdiction only.

Administrative Officer

14. Details of experience, if any :

Sl. No.	Name of Employer	Post held	Scale of pay	period	Nature of duties performed

15. Bank Draft No.....Date.....

16. Name of employment office, registration no. and date

17. Whether you are related to any employee of the
VPKAS, Almora and its KVK's/ any other
Institutes of ICAR , if so, name the person
and describe the nature of relationship with him.

Declaration

I hereby declare that all the statements made above are complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information found false or incorrect at any time before or after the selection/interview, my candidature may be cancelled and I shall abide by the decision of the Director, VPKAS, Almora.

Place:

Date:

SIGNATURE OF THE APPLICANT

**FORM OF CERTIFICATE PRESCRIBED FOR
SCHEDULED CASTE AND SCHEDULED TRIBE**

Form of Certificate as prescribed in M.H.A., O.M. No. 42/21/49-N.G.S., dated 28-1-1952, as revised in Dept. of Per. & A.R., Letter No. 36012/6/76-Estt. (SCT) dated 29-10-1977, to be produced by a candidate belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe in support of his claim.

FORM OF CASTE CERTIFICATE

This is to certify that Shri/Shrimati*/Kumari* _____ Son/
daughter* of _____ of village/town* _____ in
District/ Division* _____ of the State/Union Territory*
_____ belongs to the _____

Scheduled Caste

Caste/Tribe* which is recognized as a ----- under:-
Scheduled Tribe*

- * The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
- * The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
- * The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.
- * The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.

[(As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order) 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976].

- * The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.
- * The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959,
as amended
by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.
- * The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.
- * The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.
- * The constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.
- * The constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) Order, 1967.
- * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Caste Order, 1968.
- * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.
- * The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
- * The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.
- * The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes order, 1978.
- * The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.

- * The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990.
- * The Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Act, 1991.
- * The Constitution (Scheduled Tribes) Order Second Amendment Act, 1991.

2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Shrimati* _____ father/mother* of Shri/Shrimati/Kumari* _____ of village/town* _____ in District/Division* _____ of the State/Union Territory* _____ who belong to the Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* _____ issued by the _____ Dated _____

3. Shri/Shrimati*/Kumari* _____ and/*or his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* _____ of _____ District/Division* of the State/Union Territory* of _____

Signature _____

Designation _____

(With Seal of Office)

State

Place _____

Date _____ Union Territory

NOTE:- The term "Ordinarily resides" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

* Please delete the words which are not applicable.

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF
INDIA.**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter of
_____ of village/town _____
in District/Division _____ in the State/Union Territory
_____ belongs to the _____ community
which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social
Justice and Empowerment's Resolution No. _____ dated
_____. * Shri/Smt./Kumari _____ and/or his/her family
ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of the
_____ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does
not belong to the persons/sections (Creamy layer) mentioned in Column 3 of the Schedule
to the Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93-
Estt. (SCT) dated 8.9.1993**.

**District Magistrate,
Deputy Commissioner etc.**

Dated

SEAL

*- The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of
Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** - As amended from time to time.

Note:- The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the
Representation of the People Act, 1950.



भा.कृ.अ.प.-विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
अल्मोड़ा -263601(उत्तराखण्ड)

F. No. 9-52/2014-Admn.I

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में वि.प.कृ.अनु.सं., अल्मोड़ा के कृषि विज्ञान केन्द्र, काफलीगैर (बागेश्वर) में निम्न अस्थायी पद को भरने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	पद/तैनाती का स्थान	पे बैण्ड+ ग्रेड पे	आयु सीमा	रिक्त पदों की संख्या -आरक्षण स्थिति	अहतर्यें	
					अनिवार्य	वांछनीय
1	विषय वस्तु विशेषज्ञ/टी-6 (कृषि प्रसार) कृ.वि.के., काफलीगैर (बागेश्वर)	पीबी-3(₹15600-39100) + ग्रेड पे ₹ 5400/-	18 से 35 वर्ष	01 पद - अनारक्षित	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान (कृषि प्रसार) में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष योग्यता	1. पर्वतीय फसलों के प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण में 2-3 वर्ष का अनुभव 2. कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान 3. सम्बन्धित विषय में पी.एच.डी. डिग्री

- नोट: 1. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन बाद की होगी तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप, मिनीकॉय एवं अमनदीबी द्वीप समूह, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य/संघ शासित प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, सिक्किम, पेंगी, हिमाचल प्रदेश के चम्बा, लाहूल एवं स्पीति जिले के उपप्रभाग में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशित होने के 45 (30 दिन+15 दिन) होगी।
2. आवेदन प्रपत्र व पद से सम्बन्धित अन्य विवरण संस्थान की वेबसाइट <http://vpkas.nic.in> पर उपलब्ध हैं।

प्रशासनिक अधिकारी

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश:

1. अभ्यर्थियों को केवल निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता/आयु/जाति प्रमाण पत्र आदि की केवल स्व-सत्यापित प्रतियां ही संलग्न की जानी चाहिए।
2. आयु सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को माना जायेगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा जाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयुसीमा में छूट दी जायेगी। उक्त पद के लिये भा.कृ. अनु.प. के कर्मचारियों के लिये कोई अधिकतम आयुसीमा नहीं होगी।
3. आवेदन पत्र के साथ परीक्षा शुल्क के रूप में ₹ 500/- का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, भा.कृ.अ.प.-विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा के पक्ष में देय हो (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला उम्मीदवारों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गयी है) अनिवार्यतः संलग्न करना होगा। आवेदन के साथ किसी अन्य माध्यम से भेजा गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा एवं इस प्रकार के आवेदन अस्वीकार कर दिये जायेंगे। बैंक ड्राफ्ट रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पूर्व का नहीं होना चाहिये तथा वह तीन माह की अवधि हेतु वैध होना चाहिये। अभ्यर्थी द्वारा ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम लिखा होना चाहिये। आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा।
4. जिस पद के लिये आवेदन किया गया हो उसका नाम तथा प्रेषक का पूर्ण नाम तथा पता लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन बाद की होगी तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप, मिनीकोय एवं अमनदीवी द्वीप समूह, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य/संघ शासित प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, सिक्किम, पेंगी, हिमाचल प्रदेश के चम्बा, लाहूल एवं स्पीति जिले के उपप्रभाग में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशित होने के 45 (30 दिन+15 दिन) होगी। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र प्रशासनिक अधिकारी, भा.कृ.अ.प.-विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा-263601 (उत्तराखण्ड) के नाम इस विज्ञापन के प्रकाशित होने से 30 दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिए।
5. सेवारत उम्मीदवारों को उनका आवेदन पत्र उचित माध्यम द्वारा भेजना अनिवार्य होगा।
6. यह पद अस्थायी है लेकिन स्थायी होने की संभावना है तथा इसे भारत में भा.कृ.अनु.प. के किसी भी संस्थान/केन्द्रों में स्थानान्तरित किया जा सकता है।
7. अनुसंधान सहयोगी/वरिष्ठ अनुसंधान फेलो, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में 12.12.2011 को अनुबंध आधार पर कार्य कर रहे हैं, उच्चतम आयु सीमा में उनका कार्यकाल जितना है उतने की छूट के पात्र हैं, जिस कार्यकाल के दौरान वे वास्तविक रूप में विभिन्न परियोजनाओं में अनुसंधान सहयोगी/वरिष्ठ अनुसंधान फेलो के रूप में कार्य किया है (अधिकतम 16 वर्ष और 3 महीने)। उनके द्वारा 06 माह से अधिक की असामान्य अवधि को लगातार कार्य में अंतराल माना जायेगा और इसके लिये आयु सीमा में छूट उपलब्ध नहीं होगी। इस संबंध में सक्षम अधिकारी से एक अनुभव प्रमाण पत्र, जिसमें परियोजनाओं के नाम और प्रत्येक परियोजनाओं में कार्यरत वास्तविक अवधि दर्शाई हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। बिना अनुभव प्रमाणवाले आवेदनों को निरस्त किया जाएगा। यह छूट केवल उच्चतम आयु सीमा के लिए ही होगी तथा किसी अन्य प्रकार की छूट, जैसे अनिवार्य योग्यता और अनुभव आदि के संबंध में नहीं होगी।
8. यदि अभ्यर्थी का कोई सम्बन्धी भा.कृ.अ.प.-विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी संस्थान में कार्यरत है तो उनका नाम पदनाम व उनके साथ सम्बन्ध साफ तौर पर आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।
9. निर्धारित योग्यताएं न्यूनतम है तथा उच्च योग्यता के फलस्वरूप किसी आवेदक को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने की बाधयता संस्थान की नहीं होगी। इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में काफ़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाया जाना सुविधाजनक अथवा सम्भव नहीं होगा। इस स्थिति में निदेशक महोदय के पास अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर मानदंड तय कर अभ्यर्थियों की छटनी कर सके। छटनी किये गये अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।
10. साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। बेरोजगार अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार केवल निकटतम मार्ग का द्वितीय श्रेणी का रेल/बस किराया देय होगा (साक्ष्य प्रस्तुत करने पर)।
11. अपूर्ण आवेदन पत्रों या बिना शुल्क के प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर न तो विचार किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्राचार किया जायेगा।
12. निदेशक, भा.कृ.अ.प.-विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा बिना कोई कारण बताए उक्त पद पर भर्ती को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
13. डाक की देरी/अन्य कारणों से नियत तिथि तक न प्राप्त होने वाले आवेदनों के संदर्भ में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. यह पद गैर-सरकारी किन्तु भारत सरकार की 'नई पेंशन योजना' के अन्तर्गत पेंशन योग्य है।
15. चयन प्रक्रिया का मामला उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के न्यायाधिकार क्षेत्र में होगा।

प्रशासनिक अधिकारी

विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
अल्मोड़ा - 263601 (उत्तराखण्ड)

आवेदन प्रपत्र

1. पद का नाम:
2. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) :
3. पिता/पति का नाम:
4. स्थायी पता:
.....
.....
5. वर्तमान पता:
.....
.....
6. जन्मतिथि:
7. लिंग: महिला/पुरुष:
8. आवेदन की अंतिम तिथि को आयु:वर्ष.....माह.....दिन
9. राष्ट्रीयता:
10. वैवाहिक स्थिति:
11. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं?
(यदि हां तो प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) हां/नहीं
12. क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं?
(यदि हां तो प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) हां/नहीं
13. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता:

कृपया अपनी नवीन
स्व-सत्यापित पासपोर्ट
साईज फोटो चिपकाएं

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	श्रेणी

14. अनुभव यदि कोई हो:

क्र.सं.	नियोक्ता का नाम	पदनाम	वेतनमान	अवधि	किया गया कार्य

15. बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक

16. रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीकरण संख्या एवं दिनांक

17. क्या वि.प.कृ.अनु.सं., अल्मोड़ा व इसके कृषि विज्ञान केन्द्रों/
भा.कृ.अनु.प. के किसी संस्थान में आपके कोई संबंधी कार्यरत
हैं, यदि हां तो उनका नाम, पदनाम तथा उनके साथ संबंध साफ
तौर पर बताएं

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन प्रपत्र में दी गयी संपूर्ण जानकारी सत्य, पूर्ण तथा सही है। मुझे ज्ञात है तथा मैं सहमत हूँ कि उक्त किसी भी जानकारी के असत्य अथवा अपूर्ण/गलत पाये जाने पर अथवा किसी भी समय मुझे अपात्र पाये जाने पर, चयन/साक्षात्कार के पूर्व अथवा पश्चात मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी तथा निदेशक, वि.प.कृ.अनु.सं., अल्मोड़ा का निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थान:
दिनांक:

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

**अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति
के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र का फार्म**

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अपने दावे के पक्ष में गृह मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/21/49-एन.जी.एस. दिनांक 28.1.1952 द्वारा निर्धारित तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं. 36012/6/76-स्था (एससीटी), दिनांक 29.10.1977 में संशोधित प्रमाण पत्र फार्म जमा करना होगा।

जाति प्रमाण पत्र का फार्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती*/कुमारी*
----- पुत्र/पुत्री* -----
ग्राम/कस्बा*----- जिला/संभाग*-----
राज्य/संघीय क्षेत्र*-----, ----- के हैं।

अनुसूचित जाति

जाति/जनजाति* जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत ----- के रूप में मान्यता
है:----- अनुसूचित जनजाति*

- *संवैधानिक (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950
- *संवैधानिक (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950
- *संवैधानिक (अनुसूचित जातियां) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951
- *संवैधानिक (अनुसूचित जनजातियां) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951

{अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश) 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976 के अनुसार यथासंशोधित}

- *संवैधानिक (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956
- *संवैधानिक (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा
यथासंशोधित
- *संवैधानिक (दादरा एवं नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962
- *संवैधानिक (दादरा एवं नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962
- *संवैधानिक (पाण्डुचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964
- *संवैधानिक अनुसूचित जनजातियां (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

- *संवैधानिक (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968
- *संवैधानिक (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968
- *संवैधानिक (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970
- *संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978
- *संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978
- *संवैधानिक (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989
- *संवैधानिक (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- *संवैधानिक (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991
- *संवैधानिक (अनुसूचित जनजातियां) आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम, 1991

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती* _____ पिता/माता*
 श्री/श्रीमती/कुमारी _____ ग्राम/कस्बा*
 _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/केन्द्र
 शासित प्रदेश* _____ जो उस जाति/जनजाति* के हैं
 जिसे _____ राज्य/ संघीय क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित
 जनजाति* के रूप में मान्यता है, उनको _____ द्वारा दिनांक
 _____ को जारी प्रमाण पत्र के आधार पर, जारी किया गया है।

श्री/श्रीमती*/कुमारी _____ तथा/या उनका परिवार
 ग्राम/कस्बा _____ जिला/मंडल _____
 राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश _____ के आमतौर पर अधिवासी हैं।

हस्ताक्षर
 पदनाम
 मोहर सहित

राज्य

स्थान _____
 दिनांक _____ केन्द्र शासित प्रदेश

नोट: प्रयोग किए गए "आमतौर पर अधिवासी" शब्दों का अर्थ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिए गए अर्थ के समान ही होगा।

जो शब्द लागू न हों कृपया उन्हें काट दें।

भारत सरकार के अधीनस्थ पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले प्रमाण पत्र का फार्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री
श्री/श्रीमती _____ ग्राम/कस्बा _____
जिला/संभाग _____ राज्य/संघीय क्षेत्र
_____, _____ समुदाय के हैं जिसे
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या
_____ दिनांक _____* के अनुसार पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।
श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या उनका परिवार आमतौर पर
_____ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के _____ जिला/संभाग के
अधिवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण
विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93/स्था.(एससीटी), दिनांक 8.9.1993** के
शेड्यूल के कॉलम 3 में उल्लेखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) से संबंधित नहीं हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट,
उपायुक्त आदि

दिनांक

मोहर

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना है जिसमें उम्मीदवार की जाति को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया हो।

**समय समय पर यथासंशोधित।

नोट : प्रयोग किए गए "आमतौर पर अधिवासी" शब्दों का अर्थ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिए गए अर्थ के समान ही होगा।